[2021] 12 एस. सी. आर 145

शांतिला सेथी और एक और

बनाम

मेसर्स डिवीजनल मैनेजर, द न्यू इंडियाभारत आश्वासन कंपनी सीमित और और।

(सिविल अपील सं। 7657-7658 2021 का)

11 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923: एस. 4-पीड़ित-मृतक

दूसरे उत्तरदाता के ट्रक में सहायक के रूप में काम कर रहा था

सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराकर उसने दम तोड़ दिया अगले दिन-मृतक के माता-पिता ने इसके तहत दावा याचिका दायर की

1923 अधिनियम-दुर्घटना के समय मृतक की आयु 24 वर्ष थी और

रुपये का वेतन प्राप्त कर रहा था। 2400 प्रति माह और रु। 25 / - रोज

क्षतिपूर्ति पचास प्रतिशत के बराबर राशि होगी। मृतक की मासिक मजदूरी को प्रासंगिक कारक से गुणा किया गया

24 वर्षों के लिए प्रासंगिक कारक 218.47, आयुक्त है। रुपये में निर्धारित मुआवजा। 2. 64 लाख-प्रथम उत्तरदाता था

12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश

दुर्घटना की तारीख प्राप्ति तक-उच्च न्यायालय ने पुरस्कार में संशोधन किया

मुआवजे को घटाकर रु। 1. 98 लाख उच्च न्यायालय

इस आधार पर कार्रवाई की गई कि अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि मृत्यु के समय मृतक का मासिक वेतन

2, 400 रुपये थे-उच्च न्यायालय ने इसके आधार पर कार्यवाही की

Rs.910 की न्यूनतम मजदूरी, जिसके लिए 218.47 का गुणक था 1. 98 लाख रुपये के पुनर्गणना मुआवजे के लिए आवेदन किया गया

-

अधिनियम में मुआवजे पर ब्याज देने की तारीख से दुर्घटना-इसके बाद, ब्याज का भुगतान कम कर दिया गया था

12 % पुरस्कार की तारीख से प्राप्ति तक 8 प्रतिशत तक-तत्काल अपील

मृतक के माता-पिता द्वारा दायर-आयोजित: दावा विवादित नहीं था

12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियोक्ता-उच्च न्यायालय के लिए इस आधार पर पुरस्कार को कम करने का कोई आधार नहीं था कि इसके लिए कोई सामग्री नहीं थी दुर्घटना के समय मृतक जो वेतन अर्जित कर रहा था, उसे स्थापित करना-बीमाकर्ता के लिए मामले के तथ्यों के आधार पर मुआवजे की इतनी मामूली राशि से जुड़े मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने और एक गरीब किसान और उसकी पत्नी को, जो पहले ही परिवार के एक कमाने वाले सदस्य की सांत्वना खो चुके हैं, लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी में अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था-Rs.25 जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा खाद्य व्यय के रूप में किया गया था, वह 'विशेष खर्च' के अंतर्गत आएगा, जिसका वह अपने रोजगार की प्रकृति से हकदार है, जिसे विशेष रूप से प्रावधान द्वारा बाहर रखा गया है।

भुगतान किया जाने वाला मुआवजा इस प्रकार है: (50 % 2400 का) x 218.47 = रु। 2,62,164 – प्रथम प्रत्यर्थी को दुर्घटना की तारीख से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि यह प्राप्त नहीं हो जाता-इसके अलावा, अपीलार्थी अपनी लागतों और खर्चों को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपये की अनुमानित लागत के हकदार होंगे।

कार्यवाही जो नीचे दी गई अदालतों में की गई है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों को कानून के तहत अधिकारों का एहसास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मुकदमा जारी रहता है।

रणनीति और उत्पीड़न और यातना का स्रोत। वर्तमान मामले में, दावा इस आधार पर था कि मृतक 2,400 रुपये प्रति माह की राशि कमा रहा था। नियोक्ता द्वारा दावे पर विवाद नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के लिए इस आधार पर पुरस्कार को कम करने का कोई आधार नहीं था कि दुर्घटना के समय

मृतक को मिलने वाले वेतन को स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। न्यूनतम मजदूरी के आधार पर आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं था, विशेष रूप से जब मृतक द्वारा अर्जित वेतन के आधार पर मुआवजे के दावे में कुछ भी अप्रिय या अतिरंजित नहीं था। दूसरे प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान और हलफनामे में कहा है कि मृतक सहायक को 2400 रुपये प्रति माह का वेतन मिल रहा था। यह कथन

बदनाम नहीं किया गया है। मृतक एक अनौपचारिक कर्मचारी था, जो दूसरे प्रतिवादी के तहत एक परिवहन व्यवसाय में सहायक के रूप में काम कर रहा था, जो रुपये का मामूली वेतन कमाता था। 2400 दुर्घटना के समय। ऐसे कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान पर रसीदें प्रदान नहीं की जाती हैं, और न ही यह उचित रूप से माना जा सकता है कि शांतिला सेथी v.

मेसर्स डिवीजनल मैनेजर, द न्यू इंडिया

नियोक्ता मजदूरी के भुगतान के लिए रसीदें बनाए रखेगा।

अपने कर्मचारियों के लिए। [पारस 7,8] [150-सी-जी]

2. बीमाकर्ता के लिए मामला लेने का कोई औचित्य नहीं था

किसी कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि के लिए भुगतान किया गया योगदान या किसी कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए किसी विशेष खर्च को पूरा करने के लिए भुगतान की गई राशि। रोजगार "। इसलिए, नियोक्ता द्वारा खाद्य व्यय के रूप में जो 25 रुपये का भुगतान किया गया था, वह 'विशेष खर्चों' के अंतर्गत आएगा जो वह अपने रोजगार की प्रकृति के अनुसार पाने का हकदार है।

प्रावधान द्वारा बहिष्कृत। [पारस 9,10] [150-जी-एच; 151-ए-सी]

उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम बनाम

सुजाता (2019) 11 एससीसी 514: [2018] 13 एससीआर 1043 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 13 एससीआर 1043

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.7657

7658 2021 से।

उच्च न्यायालय के 30.11.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के एफ. ए. ओ. No.305 में उड़ीसा, कटक का और 2016 के एफ. ए. ओ. No.305 में 2018 की समीक्षा याचिका No.261 में दिनांकित <आई. डी. 1 का आदेश।

अनिरुद्ध संगनेरिया, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अभिषेक गोला, विरेश बी. सहारिया, अक्षत अग्रवाल, अंशुल

मेहराल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

[2021] 12

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें 2016 के एफ. ए. ओ. सं. 305 दिनांक 30 नवंबर में ओडिशा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसलों से उत्पन्न होती हैं।

2018 और 2018 की समीक्षा याचिका संख्या 261 दिनांक 1 फरवरी 2019 में।

3. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं: मृतक कर्मचारी, जो अपीलार्थियों का बेटा है, एक ट्रक में सहायक के रूप में काम कर रहा था

दूसरे प्रत्यर्थी से संबंधित पंजीकरण संख्या OR-04 A 1225, जो उसका नियोक्ता था। ट्रक का बीमा पहले उत्तरदाता के साथ किया गया था। 30 अक्टूबर 2004 को सुबह 11 बजे, जब ट्रक पारादीप से जादुपुरगोडा जा रहा था, तो चालक ने एक व्यक्ति से बातचीत की।

अपनी वापसी यात्रा पर चांदीखोल को चावल के तीस थैले वापस ले जाने के लिए। चालक ने मृतक सहायक को ट्रक से उतरने और चावल के थैलों को भरने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। ड्राइवर।

कामगार के मुआवजे का निपटारा 29 फरवरी 2016 को किया गया था। यह देखा गया कि कर्मचारी को उसके रोजगार की प्रकृति से भुगतान किया गया कोई भी विशेष खर्च अधिनियम की धारा 2 (एम) के तहत 'मजदूरी' के अर्थ में शामिल है। इसलिए, दुर्घटना के समय कुल मासिक मजदूरी की गणना Rs.2425/माह की गई थी। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, जहां किसी कर्मचारी की चोट लगने से

मृत्यु हो जाती है, मुआवजे की कुल राशि पचास प्रतिशत के बराबर होगी। मृतक के मासिक वेतन को प्रासंगिक कारक से गुणा किया जाता है। अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार, 24 वर्षों के लिए प्रासंगिक कारक 218.47 है। कुल गणना की गणना इस प्रकार की गई थी:

1 मामला सं. 273-डी/2004 2 "द एक्ट" शांतिलता सेठी बनाम।

मेसर्स डिवीजनल मैनेजर, द न्यू इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ जे।]

(50 % 2425 का) X 218.47 = 2,64 रुपये, 898.87। प्रथम प्रतिवादी को रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। 2,64,895 / - दुर्घटना की तारीख से वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ।

5. अपील पर, उच्च न्यायालय ने 30 नवंबर 2018 के अपने फैसले में मुआवजे को घटाकर 1,98 रुपये और ब्याज को 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया। उच्च न्यायालय ने मुआवजे के दावे को कम करते हुए इस आधार पर कार्रवाई की है कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि मृत्यु के समय मृतक का वेतन 2,400 रुपये प्रति माह था। उच्च न्यायालय ने परिणामस्वरूप 910 रुपये के न्यूनतम वेतन के आधार पर कार्रवाई की, जिसके लिए 218.47 का गुणक लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1,98 रुपये, 807.70 का पुनर्गणना किया गया था। ब्याज के मुद्दे पर, न्यायालय ने कहा कि अधिनियम में दुर्घटना की तारीख से मुआवजे पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद, पुरस्कार की तारीख से प्राप्ति तक ब्याज का भुगतान 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया। फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा को 1 फरवरी 2019 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

6. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में पूरी तरह विफल रहा है कि ब्याज का अधिनिर्णय

अधिनियम की धारा 4 (ए) द्वारा शासित। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम बनाम सुजाता में इस मुद्दे पर विचार किया गया है, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है:

“ 20. ..... सवाल यह है कि भुगतान कब किया जाता है

21. 1975 में ही इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने प्रताप नारायण सिंह देव बनाम. श्रीनिवास सबाटा और अन्र। मनु/एससी/0021/1975: (1976) 1 एससीसी 289: ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 222 ने सिंघल, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहा है कि एक नियोक्ता उस दुर्घटना में कर्मचारी को व्यक्तिगत चोट पहुँचते ही मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जो नौकरी से और उसके दौरान हुई थी। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह दुर्घटना की तारीख है न कि दावे के निर्णय की तारीख, जो है - सामग्री "।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. इस न्यायालय के समक्ष अपीलें इंगित करती हैं कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया किस तरीके से वर्षों तक चल सकती है। इसके परिणामस्वरूप, एक गरीब किसान परिवार 2004 में हुई एक दुर्घटना में अपने बेटे की मृत्यु के लिए श्रम आयुक्त द्वारा अधिनियम के तहत दिए गए 1 रुपये के मामूली मुआवजे को प्राप्त करने के लिए एक लंबी लड़ाई में खो जाता है। आयुक्त द्वारा मुआवजा दिए जाने के बाद, मृतक कर्मचारी के माता-पिता को शुरू में उच्च न्यायालय के समक्ष बीमाकर्ता द्वारा लाई गई कार्यवाही का बचाव करना था और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को अपनी चुनौती देनी थी। एक उच्च और शक्तिशाली राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी को अपनी सामाजिक अंतरात्मा का एहसास कब होगा? जिस तरह से एक किसान और उसके जीवनसाथी को कानूनी प्रक्रिया की दया पर छोड़ दिया गया है, उससे हमारी अंतरात्मा बहुत परेशान हुई है। क्या बीमाकर्ता को अपने मजदूरी कमाने वाले बेटे की मृत्यु के लिए 2 लाख 64 हजार रुपये के फैसले को लेकर माता-पिता को उच्च न्यायालय में घसीटना चाहिए था? यह है।

समय आ गया है कि इस पर मौलिक पुनर्विचार हो। मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों को कानून के तहत अधिकारों का एहसास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मुकदमेबाजी एक रणनीति और उत्पीड़न और यातना का स्रोत बनी रहती है।

8. वर्तमान मामले में, दावा इस आधार पर था कि मृतक

2, 400 रुपये प्रति माह की कमाई कर रहा था। नियोक्ता द्वारा दावे पर विवाद नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के लिए इस आधार पर पुरस्कार को कम करने का कोई आधार नहीं था कि दुर्घटना के समय मृतक को मिलने वाले वेतन को स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। न्यूनतम मजदूरी के आधार पर आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं था, विशेष रूप से जब मृतक द्वारा अर्जित वेतन के आधार पर मुआवजे के दावे में कुछ भी अप्रिय या अतिरंजित नहीं था। दूसरे प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान और हलफनामे में कहा है कि मृतक सहायक को 2400 रुपये प्रति माह का वेतन मिल रहा था। इस कथन की पुष्टि नहीं की गई है। मृतक एक अनौपचारिक कर्मचारी था, जो दूसरे प्रतिवादी के तहत एक परिवहन व्यवसाय में सहायक के रूप में काम कर रहा था, जो रुपये का मामूली वेतन कमा रहा था। 2400 दुर्घटना के समय। ऐसे कर्मचारियों को रसीदें नहीं दी जाती हैं। मजदूरी के भुगतान पर, और न ही यह उचित रूप से माना जा सकता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान के लिए रसीदें बनाए रखेगा। उच्च न्यायालय के पास यह टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं था कि भुगतान किए गए वेतन को स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।

9. वास्तव में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि बीमाकर्ता के लिए इस तरह के मामूली मामले को लेने का कोई औचित्य नहीं था। उच्च न्यायालय शांतिलता सेथी v को मामले के तथ्यों के आधार पर मुआवजे की राशि।

मेसर्स डिवीजनल मैनेजर, द न्यू इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ जे।]

या लाभ जो यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत के मूल्य या किसी कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि के लिए भुगतान किए गए योगदान या किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की प्रकृति से जुड़े किसी विशेष खर्च को पूरा करने के लिए भुगतान की गई राशि के अलावा धन में अनुमानित होने में सक्षम है। इसलिए, नियोक्ता द्वारा खाद्य व्यय के रूप में जो 25 रुपये का भुगतान किया गया था, वह 'विशेष खर्चों' के अंतर्गत आएगा जो वह अपने रोजगार की प्रकृति से हकदार है, जिसे प्रावधान द्वारा विशेष रूप से बाहर रखा गया है। इसलिए, भुगतान किया जाने वाला कुल मुआवजा इस प्रकार है: (50 % 2400 का) x 218.47 = रु। 2,62,164 . प्रथम उत्तरदाता को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। 2,62,164 दुर्घटना की तारीख से प्राप्त होने तक 12 प्रतिशत के ब्याज के साथ। 10. इस घटना में कि बीमाकर्ता ने मुआवजे के किसी भी हिस्से का भुगतान किया है जो आदेश के अनुसरण में देय है

श्रम आयुक्त, जिसे देय और देय शेष राशि की गणना करने के लिए उचित श्रेय दिया जाएगा। शेष राशि का भुगतान इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपीलार्थियों को कर दिया जाएगा। आयुक्त व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि राशि का भुगतान अपीलार्थियों को कर दिया गया है। इसके अलावा, अपीलार्थी अपनी लागत और कार्यवाही के खर्चों को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपये की अनुमानित लागत के हकदार होंगे जो नीचे दी गई अदालतों में आयोजित किए गए हैं।

11. उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति है। 12. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों का

निपटारा किया गया।